Office of District Collector and Magistrate Gautam Budh Nagar

Letter no. 818/ST-DM/2021 **Date:- 8-4-2021**

Press Note:

In light of recent increase in number of covid cases in and around the district and because of increase in positivity rate,

1. Administration has decided to impose **night prohibition/regulation order** in the district of Gautam Budh Nagar from 10pm to 5am till 17th April 2021.

However, all movement of essential goods/commodities and essential/medical services shall be exempted from the above order.

2. All Government, Private educational institutes (except medical, para medical and nursing) including coaching institutes shall be barred from holding physical classes till 17th April 2021. However, all exams including practicals shall be held as per schedule and are exempted from this order

3. There shall be an intensive enforcement of masks and other COVID protocols in public places including work places, by police/incident commanders and by concerned departments.

Regards,

8/4/2021

Suhas L Y
District Collector and Magistrate
Gautam Budh Nagar

कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 893/सी0आर0ए0–कोविड–19/2021 दिनांक 08.04.2021

आदेश

जनपद गौतमबुद्धनगर में कोविड–19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा–30 एवं उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–23 में प्रदत्त शक्तियों एवं उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग–5 की अधिसूचना संख्या–548/पांच–5/2020 दिनांक 14.3.2020 के प्रस्तर–12(बारह) में प्रदत्त शक्ति एवं विहित व्यवस्था एवं अधिसूचना संख्या–582(1)/ पांच–5–2021 लखनऊ दिनांक 31 मार्च, 2021 के कम में तथा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, गृह(गोपन) अनुभाग–3, लखनऊ से निर्गत शासनादेश संख्या–600/2021–सीएक्स–3, दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर–18 द्वारा कोविड–19 वायरस जनित महामारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु स्थानीय प्रतिबन्ध लगाए जाने सम्बन्धी प्रावधान के अनुपालन में जनपद गौतमबुद्धनगर की सीमा में कोविड–19 के संक्रमण के प्रकरणों पर प्रभावी नियन्त्रण के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से दिनांक 08.04.2021 की रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक दिनांक 17 अप्रैल 2021 तक रात्रि निषेधाज्ञा लगाया जाता है। परन्तु निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को उपरोक्त प्रतिबंध से छूट दी जाती है:–

(क)– भारत सरकार के अधिकारी/कर्मचारी, राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारी इनके स्वायत्त/ अधीनस्थ कार्यालय, प्राधिकरण, ऑटोनॉमस बॉडी के अधिकारी जैसे–आपातकालीन सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सभी सम्बन्धी चिकित्सा प्रतिष्ठान, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्नि शमन, आपातकालीन सेवाए, जिला प्रशासन, वेतन और कोषागार कार्यालय, बिजली, पानी और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, वायु/रेलवे/बस आपदा प्रबन्ध और सम्बन्धित सेवाएं, एन0आई0सी0, एन0सी0सी0, नगर पालिका सेवाए और अन्य सभी आवश्यक सेवाएं वैध आई0कार्ड के प्रस्तुत करने पर सार्वजनिक सेवाओं/विभागों से सम्बन्धित निर्बाध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(ख) सभी निजी चिकित्सा कर्मी जैसे कि डाक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरा मैडिकल आदि अन्य सेवाए जैसे अस्पताल डाइग्नोस्टिक सेन्टर, क्लीनिक, फार्मेसी, फार्मास्युटिकल कम्पनियॉ और अन्य चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाए वैध आई0कार्ड प्रस्तुत करने पर।

(ग) गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा/स्वास्थ्य सेवाए प्राप्त करने के लिए।

(घ) हवाई अडडे/रेलवे स्टेशन/बस अडडे से आने जाने वाले व्यक्ति को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा की अनुमति है।

(च) आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। इसके लिए किसी अनुमति अथवा ई–पास की आवश्यकता नहीं होगी।

(छ) व्यवसायिक एवं निजी अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों/आवश्यक सेवाओं/वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अनुमति निम्नानुसार होगी:–

1. दुकानें, खाद्य पदार्थ, किराने का समान, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध, मांस, मछली, पशुचारा, फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं और चिकित्सा उपकरण
2. बैंक, बीमा, कार्यालय और एटीएम।
3. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
4. दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं, ITES सक्षम सेवाएं।
5. खाद्य फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों सहित सभी आवश्यक वस्तुआं का वितरणं ई–कॉमर्स के माध्यम से।
6. पैट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पैट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट।
7. बिजली उत्पादन एवं वितरण इकाईयॉ सम्बन्धी सेवाए।
8. कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं।
9. निजी सुरक्षा सेवाएं।
10. आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयॉ।

11. ऐसी इकाइयॉ या सेवाएं, जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।
12. उपरोक्त गतिविधियों के लिए प्रयुक्त वाहन/टैक्सी/ऑटो चालकों को रात्रि कर्फ्यू के दौरान कोविड–19 प्रोटॉकाल का पालन करने पर ही परिवहन का संचालन करने की अनुमति दी जायेगी।

शासनादेश सख्या–680/2021–सीएक्स–3 दिनांक 8 अप्रैल,2021 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति/व्यक्तियों के विरूद्व आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–51 से 60 के अन्तर्गत एवं धारा–188 भादवि के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

8/4/2021

(सुहास एल.वाई.)
जिला मजिस्ट्रेट,
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा/ग्रेटर नौएडा/यीडा।
7. पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर।
8. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
9. समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।
10. नगर मजिस्ट्रेट नौएडा/ग्रेटर नौएडा।
11. समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।
12. मुख्य चिकित्साधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
13. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
14. जिला सूचना अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

8/4/2021

जिला मजिस्ट्रेट,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 894/सी0आर0ए0–कोविड–19/2021 दिनांक 08.04.2021

आदेश

उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग–5 की अधिसूचना संख्या–548/पांच–5/2020 के प्रस्तर–12(बारह) में प्रदत्त शक्ति एवं विहित व्यवस्था एवं अधिसूचना संख्या–582(1)/पांच–5–2021 लखनऊ दिनांक 31 मार्च, 2021 के कम में तथा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, गृह(गोपन) अनुभाग–3, लखनऊ से निर्गत शासनादेश संख्या–600/2021–सीएक्स–3, दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर–18 द्वारा कोविड–19 वायरस जनित महामारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु स्थानीय प्रतिबन्ध लगाए जाने सम्बन्धी प्रावधान के अनुपालन में जनपद गौतमबुद्धनगर में कोविड–19 के संक्रमण के प्रकरणों पर प्रभावी नियन्त्रण के दृष्टिगत मैं, जिला मजिस्ट्रेट गौतमबुद्धनगर तत्काल प्रभाव से दिनांक 17 अप्रैल 2021 तक चिकित्सा, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़कर समस्त सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी विद्यालय, महाविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान एवं कोचिंग संस्थान अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–955/सत्तर–3–2021– 08(20)/2020 दिनांक 01 अप्रैल,2021 में उल्लिखित शर्तो के अधीन बंद किये जाते है। परन्तु मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में परीक्षाएं/प्रैक्टिकल कोविड–19 प्रोटोकॉल का कठोरता से अनुपालन करते हुए आयोजित किए जा सकेंगे।

8/4/2021

(सुहास एल.वाई.)
जिला मजिस्ट्रेट,
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, लखनऊ।
6. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा/ग्रेटर नौएडा/यीडा।
8. पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर।
9. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
10. समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।
11. नगर मजिस्ट्रेट नौएडा/ग्रेटर नौएडा।
12. समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।
13. मुख्य चिकित्साधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
14. क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
15. जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
16. जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
17. जिला सूचना अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट,
गौतमबुद्धनगर।